कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज।

पत्र संख्याः– सीएफओ0/एफएस/फा0आडिट /2021 दिनॉकः–अप्रैल 7 .2021

सेवा में,

प्रो0/प्रबन्धक,
सेन्ट मेरीज कॉवेन्ट स्कूल,
इरादतगंज, घूरपुर, जनपद प्रयागराज।

विषयः– सेन्ट मेरीज कॉवेन्ट स्कूल,इरादतगंज, घूरपुर जनपद प्रयागराज में लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं /उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आवेदक/प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन लगी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है उक्त भवन में स्थापित जीवन रक्षा,प्रिवेन्शन एवं फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना/ कियाशीलता का निरीक्षण कराया गया, जिसकी आख्या निम्नवत है।

1– भवन बेसमेण्ट, भूतल, प्रथमतल, द्वितीयतल तक निर्मित है।

2– प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा में पाये गये ।

3–भवन की टेरिस पर 10,000 ली0 का टेरिस टैंक व 450 एलपीएम का टेरिस पम्प वांछनीय है।

4–भवन के प्रत्येक तल पर होजरील वाछंनीय है।

5–फायर स्टेशन का मो0 नं0 मुख्य–मुख्य स्थानों पर अंकित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओ के आधार पर का फायर आडिट प्रमाण–पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1– प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये जाने हेतु मेन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।

2–भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।

3–किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन विभाग को दी जाय तथा पायी गयी त्रृटी का निवारण किया जाय। इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।

5–प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल करायी जाय।

6– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। इस प्रतिबन्धों के साथ प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

(आर0एस0मिश्र)
(रवीन्द्र शंकर मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।
प्रयागराज

PRINCIPAL
ST. MARY'S CONVENT SCHOOL
GHOORPUR ALLAHABAD

VICE PRESIDENT
SHAKUNTALA DEVI EDUCATIONAL SOCIETY
14 B, MINTO ROAD, ALLAHABAD